



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roe2.1ko-mef@gov.in, go2mef@rediffmail.com

पत्र सं० 8वीं/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी० 465

दिनांक : 03.09.2022

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, थापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवेड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पट्टी किमी० चैनैज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरव्यावहारिक प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-2245/81-2-2021-800(123)/2021, लखनऊ, दिनांक-24.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपस्थान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव को आगामी REC बैठक में सम्मिलित किया जाएगा। अतः बैठक से पूर्व (सम्भावित तिथि 20.09.2022) निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

- 1- The alignment change as was proposed in this office letter dated 04.01.2022, is explained as "the alignment remains the same, it is just shifted by 7.5 m along the canal". This needs to be further clarified.
- 2- No change in tree felling is proposed as there is no change in alignment. However, this has to be ascertained in field as there is a shift of 7.5m.
- 3- Revised forest boundary maps need to be provided to ascertain the status of CA land as Non forest land.

भवदीय,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ) वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 850 /11सी- FP/UP/Others/121197/2021 दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 21, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में समेकित कर वन संरक्षक के माध्यम से कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।